

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संविदा संख्या-6/अ0-03-20/2020

पटना, दिनांक:-

श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), गयाजी अंचल-2, गयाजी को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 24.11.2024 से 08.12.2024 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती अनिशा के अवकाश लेखा में (109-15=94) चौरानवे दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-20/2020 788

पटना, दिनांक:- 06/03/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गयाजी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), गयाजी अंचल-2, गयाजी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), गयाजी अंचल-2, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


06.03.26

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।